[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated 10th September, 2015]

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 सितम्बर, 2015

संख्या ई0सी0ए0–1/2015/791 नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाण पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11), की धारा 209 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते है तथा उक्त धारा की उप धारा (3) द्वारा यथापेक्षित ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए, इसके द्वारा, प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससें प्रभावित होने की सम्भावना है ।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीन दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, चण्डीगढ़, द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जाये, विचार करेगी ।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन (द्वितीय संशोधन), नियम 2015 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया हैं) में, नियम 26 में –
   (i) उपनियम (3) में, ''प्ररूप 4–क'' शब्द, अंक, चिह्न तथा अक्षर के बाद, ''तथा प्ररूप 4–ख'', शब्द, अंक, चिह्न तथा अक्षर रखे जायेगें।
   (ii) उपनियम (4) में ''प्ररूप 4–क'' शब्द, अंक, चिह्न तथा अक्षर के बाद ''तथा प्ररूप 4–ख'' शब्द, अंक, चिह्न तथा अक्षर रखे जायेगें ।
3. उक्त नियमों में, नियम 27 में, ''तथा प्ररूप 4–क'' शब्द, अंक, चिह्न तथा अक्षर के स्थान पर ''प्ररूप 4–क तथा प्ररूप 4–ख'' शब्द, अंक, चिह्न तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगें।
4. उक्त नियमों में, प्ररूप 4–क के बाद, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थातः–

"प्ररूप 4–ख

[देखिए नियम 26(4) तथा 27]

....(ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद) के वार्ड संख्या ....ब्लाक .... जिला ....के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र और प्ररूप 4–क सहित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी..................................आयु..............................वर्ष...(पूरा डाक पता वर्णित करे) का/की निवासी हूं, उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं, और शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :–

(1) मैं...(राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र उम्मीद्वार के रूप में लड़ रहा/रही हूँ।

(2) मेरा नाम ....ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद में वार्ड संख्या .... के क्रम संख्या ....पर है।

(3) मेरा सम्पर्क/टेलीफोन नम्बर ....है/हैं और मेरा ई–मेल आईडी (यदि कोई हो)................................... है।

(4) यह कि मैने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 में यथा अधिकथित के अधीन प्राप्त निम्न अयोग्यता नहीं की है :–

(क) मैं किसी अपराधिक मामले में करावास, जो दस वर्ष से कम न हो, से दड़नीय किसी अपराध के लिए सिद्वदोष नहीं किया गया हूँ और न ही आरोप लगाए गए ।

(ख) मैं किसी प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाईटी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के उसकी ओर किसी प्रकार के देय के किन्ही बकायों का भुगतान करने में असफल नहीं रहा हूँ; कथित संस्था (संस्थाओं) से आदेय प्रमाण पत्र संलग्न है।

(ग) मैं बिजली बिलों के बकायों का भुगतान करने में असफल नहीं रहा हूँ; सम्बन्धित विधुत उपयोग का आदेय प्रमाण पत्र संलग्न है।

(घ) मैंने किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा पास की है।

या

मैंने आठवीं कक्षा पास की है।

(किसी महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से सम्बन्धित किसी उम्मीदवार की दशा में)

या

मैंने पांचवी कक्षा पास की है।

(पंच के पद के लिए निर्वाचन लड़ रही अनुसूचित जाति से सम्बन्धित महिला उम्मीद्वार की दशा में)

सम्बद्ध संस्था/बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सही सत्यापित प्रति संलग्न है।

(ङ) मेरे निवास स्थान पर कार्यशील शौचालय है।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित, अभिसाक्षी, इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और इसमें से कोई तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है।

अभिसाक्षी

....

टिप्पणः 1 शपथ पत्र/घोषणा, नामांकन भरने के अंतिम दिन को 3 बजे से पहले तक फाईल किया जाना चाहिए।

टिप्पणः 2 पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सदस्य के चुनाव लड़ रहे उम्मीद्वार के मामले में जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक अथवा उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ आयुक्त अथवा क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले

उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)/तहसीलदार/नायब तहसीलदार (जिसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हो) के सम्मुख शपथ–पत्र पर प्रस्तुत की जायेगी।

टिप्पणः 3 ग्राम पंचायत के पंच तथा सरपंच के पद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीद्वार के मामले में, सूचना सादे कागज़ पर तैयार करके देनी होगी।

टिप्पणः 4 सभी कॉलम भरे जाने चाहिएं और कोई कॉलम खाली न छोड़ें। यदि किसी मद के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तो शून्य या लागू नहीं होता जैसी भी स्थिति हो, उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पणः 5 शपथ पत्र/घोषणा या तो टंकित या सुपाठ्य तथा साफ–साफ लिखी होनी चाहिए।

नवराज सन्धु,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग, चण्डीगढ़।

53708—C.S.—H.G.P., Chd.

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated 10th September, 2015]

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 10th September, 2015

No. ECA-I/2015/791.- The following draft to the rules which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 209 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994, (11 of 1994) are hereby published as required under ub-section (3) of section 209 of the said Act for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of the rules will be taken into consideration by the Government on or after a period of three days from the date of publication of this notice in the Official Gazette with objections or suggestions, if any, which may be received by the Additional Chief Secretary to Government Haryana, Development and Panchayats Department from any person with respect to the draft of the rules before the expiry of the period so specified.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Haryana Panchayati Raj Election (Second Amendment) Rules, 2015.

2. In the Haryana Panchayati Raj Election Rules, 1994 (those, therein, hereinafter called the said rules), in rule 26;-

   (i) in sub-rule (3), after the words, figure, and letter, “Form 4-A”, the words, figure, sign and letter “and Form 4-B” shall be inserted; and

   (ii) in sub-rule (4), after the words, figure, sign and letter “Form 4-A”, the words, figure, sign and letter “and Form 4-B” shall be inserted.

3. In the said rules, in rule 27, for the words, figure, sign and letter “ and Form 4-A”, the words, figures, signs and letters, “Form4-A and Form 4-B” shall be substituted.

4. In the said rules, after Form 4-A, the following Form shall be inserted, namely:-

“FORM 4-B

[see rule 26(4) and 27]

Affidavit to be filed by the candidate alongwith nomination paper and Form 4-A before the Returning Officer for election………………………….. (Name of the Gram Panchayat/ Panchayat Samiti/Zila Prishad, Ward No………..., Block………………….., District………………………… .

I, ……………..…………………son/daughter/wife of………………..……….Aged……………..years, resident of ……………………………….. (mention full postal address), a candidate at the above election, do hereby solemnly affirm and state on oath as under :-

(1) I am a candidate setup by …….…………………......... (Name of the political party) /am contesting as an Independent candidate.

(strike out whichever is not applicable)

(2) My name is enrolled in ……………………. (Name of the Gram Panchayat/ Panchayat Samiti/ Zila Prishad), at Serial No. ……………….. in Ward No. …………………….

(3) My contact/ telephone number(s) is/are………………. and my e-mail id (if any) is…………………… .

(4) That I have not incurred any of the following disqualifications, as laid down under section 175 of the Haryana Panchayti Raj Act, 1994:-

(a) I have neither been convicted, nor charges have been framed against me in a criminal case for an offence, punishable with imprisonment for not less than ten years.

(b) I have not failed to pay any arrears of any kind due to me to any Primary Agriculture Co- operative Society, District Central Co-operative Bank and District Primary Co-operative Agriculture Rural Development Bank. No dues certificate(s) from the said institution(s) is/are enclosed.

(c) I have not failed to pay arrears of electricity bills. No dues certificate from the concerned Power Utility is enclosed.

(d) I have passed matriculation examination or its equivalent examination from any recognized institution/board.

or

I have passed the middle class.
(In case of a woman candidate or a candidate belonging to Scheduled Caste)

or

I have passed the 5th class.
(In case of a women candidate belonging to Schedule Caste contesting election for the post of Panch)
A true attested copy of certificate issued by the concerned Institution/Board is enclosed.

(e) I have a functional toilet at the place of my residence.

DEPONENT

VERIFICATION

I, the deponent, above named, do hereby verify and declare that the contents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

Note : 1. Affidavit/Declaration should be filed latest by 3.00 PM on the last day of filing nominations.

Note : 2. In case of candidate seeking to contest the elections of Member Panchayat Samiti and Zila Parishad shall have to submit and affidavit sworn before the First Class Magistrate or a Notary Public or a Commissioner of Oath appointed by the High Court or before the Sub-Divisional Officer (Civil)/Tehsildar/Naib Tehsildar (conferred with the powers of Executive Magistrate) having jurisdiction to the area.

Note: 3. In case of candidate seeking to contest the election of the seat of Panch and Sarpanch of Gram Panchyat shall have to furnish the information on a plain paper.

Note: 4. All columns should be filled up and no column to be left blank. If there is no information to furnish in respect of any item, either "Nil" or "Not applicable", as the case may be, should be mentioned,

Note: 5. The Affidavit/Declaration should be either typed or written legibly and neatly."

NAVRAJ SANDHU,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Development and Panchayats Department.

53708—C.S.—H.G.P., Chd.